संख्या-101/2021/485/23-9-2021-14नाबार्ड(सेतु)/2020टी0सी0

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत सेतुओ पर द्वितीय किस्त की धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-1213/नाबार्ड योजना (नये कार्य)/2020, दिनांक 25.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ योजनान्तर्गत संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत 02 जनपदों यथा आगरा व प्रयागराज के 02 सेतु कार्यों हेतु **सारिणी के स्तम्भ-11 के अनुसार** रू0 21,83,16,000/-(रूपये इक्कीस करोड़ तिरासी लाख सोलह हजार मात्र) (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 17.2011 करोड़ एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 4.6305 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि केवल उक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतुओं की गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत् पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

(3) उक्त 02 सेतुओं के सेतु अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाये ।

(4) संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-36-प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-00-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान सं-83 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-21-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
4- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु)/ वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) ।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
12- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-101/2021/485/23-9-2021-14नाबार्ड(सेतु)/2020टीसी, दिनांक 25 मार्च, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 व दिनांक	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्व में निर्गत आवंटन			वित्तीय वर्ष 2020-21 में द्वितीय किस्त की धनराशि का आवंटन		
					अनु0-57	अनु0-83	योग	अनु0-57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आगरा	जनपद आगरा में रूनकता बलदेव मार्ग के मध्य रेणुका धाम के निकट यमुना नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	100/2020/635/23-9-2020-07नाबार्ड (सेतु)/2017 दि0 31.08.2020	3538.09	278.76	75.04	353.80	630.32	169.68	800.00
2	प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में नारी बारी-कोरॉव मार्ग पर क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट के बगल में टोंस नदी पर 02 लेन सेतु पहुंच मार्गअतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	161/2020/1057/23-9-2020-08नाबार्ड(सेतु)/2019 दि0 11.12.2020	6256.23	985.86	265.39	1251.25	1089.79	293.37	1383.16
			कुल योग-	9794.32	1264.62	340.43	1605.05	1720.11	463.05	2183.16

(अवमुक्त धनराशि रूपये इक्कीस करोड़ तिरासी लाख सोलह हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।